दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

प्रधान कार्यालय, ओरिएण्टल हाउस
ए-25/27, आसफ अली रोड, नई दिल्ली-110002

फोन नं. 011-43659105 **सी.आई.एन.: यू.66010डी.एल.1947जी.ओ.आई.007158**

टेंडर नोटिस

दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड अपने प्रयोग हेतु वॉल कलैण्डर 2019 तथा डेस्क कलेंडर 2019 की प्रिंटिंग, पैकिंग व अखिल भारतीय स्तर पर प्रेषण की इच्छुक है। दिल्ली/एनसीआर आधारित **"ए" श्रेणी के डी.ए.वी.पी. तथा "ए" श्रेणी के डिरेक्टोरेट ऑफ प्रिंटिंग, भारत सरकार पैनल के ऑफसेट प्रिंटर** जो दोनों कलैण्डर की प्रिंटिंग, पैकिंग व प्रेषण के इच्छुक हों वे हमारे पोर्टल **www.orientalinsurance.org.in** पर विस्तृत विवरण देखकर दोनों टेंडर (वॉल तथा डेस्क) की निविदा में भाग ले सकते हैं। निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 13 नवंबर 2018 है।

स्वाः/-
मुख्य प्रबंधक,
प्रचार-प्रसार विभाग, प्रधान कार्यालय

SOM DISTILERIES AND BREWERIES LTD.

1-A, ZEE PLAZA, ARJUN NAGAR, SAFDARJUNG ENCLAVE,
KAMAL CINEMA ROAD, NEW DELHI-110029
CIN:L74899DL1993PLC052787

Following persons claim to be the shareholder of Som Distilleries and Breweries Ltd as per details given below:

S.No.	Folio No.	Name(s) of the Shareolder(s)	Share Certificate No(s)	No of Shares
1.	8324	Rajesh Jamwal	22847	100
2.	15964	MamtaTiwari	14267-43897	200
3.	9098	Ragbir Chand	24394-24395	200

On their applications, the company proposes to issue duplicate share certificate(s). Any person claiming these shares or otherwise having any objection to the issue of duplicate shares as above may communicate his objection within 15 days of the publication of this notice to the undersigned at 23, Zone II, M.P. Nagar, Bhopal-462011 in writing or by e-mail at mmc@somindia.in. No claim will be entertained thereafter.

Jagdish Kumar Arora, *Managing Director*

INDAG

इन्डैग रबर लिमिटेड

सीआईएन : एल74899डीएल1978पीएलसी009038
पंजी. कार्यालय : 11, कम्युनिटी सेन्टर, साकेत, नई दिल्ली–110017
ई–मेल : info@indagrubber.com, वेबसाइट : www.indagrubber.com, फोन : 011–26963172

सूचना

एतद्द्वारा सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 29 तथा विनियम 42 के अनुसरण में सूचना दी जाती है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठक मंगलवार, 13 नवंबर, 2018 को आयोजित की जानी निर्धारित है, 30 सितंबर, 2018 को समाप्त तिमाही और छमाही के लिए कंपनी के वित्तीय परिणामों पर विचार और अनुमोदन किये जायेंगे। और वित्तीय वर्ष 2018–2019 के लिए अंतरिम लाभांश पर विचार करने और स्वीकृति देने के लिए।

इसके अलावा, सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015 के अनुपालन में, ट्रेडिंग विंडो 06 नवंबर, 2018 से 15 नवंबर, 2018 (दोनों दिन) बंद रहेगा।

बोर्ड के आदेश द्वारा
वास्ते **इंडैग रबर लिमिटेड**
हस्ता. / –
कम्पनी सेक्रेटरी

तिथि : 26 अक्टूबर, 2018
स्थान : नई दिल्ली

RELIANCE HOME FINANCE

रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड
कब्जा सूचना – (प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के अनुसार)

चूंकि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत व प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में **रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी मौजूदा अधोहस्ताक्षरी ने उक्त सूचनाओं की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित **30 जनवरी, 2018** तक राशि **रु. 3,18,57,189 / – (रुपए तीन करोड़ अठारह लाख सतावन हजार एक सौ नवासी केवल)** का भुगतान करने के लिए ऋणी(यों) / सह–ऋणी(यों): **(1)** आधुनिक मेटालिक्स लि. लैंडसटाउन टॉवर्स, 2 / 1ए, सरत बोस रोड, मिंटो पार्क के पास, कोलकाता– 700020 (2) जुगल किशोर अग्रवाल और (3) घनश्याम दास अग्रवाल, दोनों बीए–209, साल्ट लेक, सेक्टर– I, कोलकाता–700064 (ऋण खाता के RHHLKOL000007894 तहत) को बुलाने के लिए **दिनांक 07 फरवरी, 2018** मांग सूचना जारी की थी। ऋणी(यों) / सह–ऋणी(यों) राशि का भुगतान करने में असफल रहे, एतद्द्वारा ऋणी(यों) / सह–ऋणी(यों) और सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में यहां नीचे वर्णित संपत्ति पर **22 अक्टूबर, 2018** पर कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से ऋणी(यों) / सह–ऋणी(यों) और सर्वसाधारण को एतद्द्वारा संपत्ति के साथ लेन–देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति के साथ किया गया कोई भी लेन–देन कुल राशि रु. 3,60,49,243 / – (तीन करोड़ साठ लाख उनचास हजार दो सौ तिरालीस केवल) और उसपर ब्याज के लिए रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड के प्रभार का विषय होगा। ऋणी / सह–ऋणियों / गिरवीकर्ता(यों) का ध्यान प्रतिभूतित संपत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में सरफेसी अधिनियम की धारा 13(8) के प्रावधानों के लिए आमंत्रित है।

अचल संपत्ति का विवरण

शिवाजी मार्ग, नई दिल्ली में स्थित ''डीएलएफ कैपिटल ग्रीन्स– I I'' के रूप में ज्ञात निम्नलिखित संपत्तियों पर गिरवी प्रोजेक्ट में संपत्ति बियरिंग अपार्टमेंट नं. CGW062 और इसके पार्किंग नं. PW1021/PW के सभी भाग व पार्सल

हस्ता. / – प्राधिकृत अधिकारी,
रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 27 अक्टूबर, 2018

IFCI LIMITED
आई एफ सी आई लिमिटेड
(A Government of India Undertaking)
(भारत सरकार का उपक्रम)

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

पंजीकृत कार्यालयः आईएफसीआई टावर, 61 नेहरु प्लेस
नई दिल्ली-110019, भारत
फोनः 011-41732000 फैक्सः 26230029
वेबसाइटः www.ifciltd.com
CIN : L74899DL1993GOI053677

लांगटर्म इन्फ्रास्ट्रक्चर बांड-सीरीज-II और V *का बॉयबैक

बॉयबैक ऑप्शन का प्रयोग करने के लिए निवेशक कृपया विवरण तथा बॉयबैक ऑप्शन फ़ॉर्म के लिए हमारी वेबसाइट देखें।

https://www.ifciltd.com

अन्य किसी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें

बीटलः 011-29961281-3 (इन्फ्रा–II)

कार्वीः 040-6716–1595 / 1678(इन्फ्रा–V)

आईएफसीआई : 011-4173-2000 / 41732475 / 2457

***सीरीज़ II और V के लिए बायबैक ऑप्शन फॉर्म वेबसाइट पर क्रमशः 01 नवंबर, 2018 तथा 31 अक्तूबर, 2018 से उपलब्ध होंगे।**

स्थानः नई दिल्ली **हस्ता./-**
दिनांकः 26 अक्तूबर, 2018 **महाप्रबंधक (संसाधन)**

RELIANCE HOME FINANCE

रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड
कब्जा सूचना – (प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के अनुसार)

चूंकि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत व प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में **रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी मौजूदा अधोहस्ताक्षरी ने उक्त सूचनाओं की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित **20 फरवरी, 2018** तक राशि **रु. 33,68,078 / – (रुपए तैंतीस करोड़ अड़सठ लाख अठहत्तर केवल)** का भुगतान करने के लिए ऋणी(यों) / सह–ऋणी(यों): **(1) गौतम कुमार सिंह (2) अर्चना कुमारी दोनों मकान नं. जे–103, जटपुर एक्स. पार्ट–1, जटपुर बदरपुर, नई दिल्ली–110044 और गौतम कुमार सिहं यह भी, जेवियंट सॉफ्टवेयर सोल्यूशन्स इंडिया प्रा. लि. 54 एनएसई 2 फेज–2 छपरौली बेंगर नोएडा, उत्तर प्रदेश (ऋण खाता के RHHLDEL000047852 तहत)** को बुलाने के लिए **दिनांक 21 फरवरी, 2018** मांग सूचना जारी की थी। ऋणी(यों) / सह–ऋणी(यों) राशि का भुगतान करने में असफल रहे, एतद्द्वारा ऋणी(यों) / सह–ऋणी(यों) और सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में यहां नीचे वर्णित संपत्ति पर **23 अक्टूबर, 2018** पर कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से ऋणी(यों) / सह–ऋणी(यों) और सर्वसाधारण को एतद्द्वारा संपत्ति के साथ लेन–देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति के साथ किया गया कोई भी लेन–देन कुल राशि **रु. 34,88,905 / – (चौंतीस लाख अठासी हजार नौ सौ पांच केवल)** और उसपर ब्याज के लिए रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड के प्रभार का विषय होगा। ऋणी / सह–ऋणियों / गिरवीकर्ता(यों) का ध्यान प्रतिभूतित संपत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में सरफेसी अधिनियम की धारा 13(8) के प्रावधानों के लिए आमंत्रित है।

अचल संपत्ति का विवरण

निम्नलिखित संपत्तियों पर गिरवी : संपत्ति बियरिंग बी–268, दूसरी मंजिल ब्लॉक–बी, ब्रिज विहार, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201009 के सभी भाग व पार्सल

हस्ता. / – प्राधिकृत अधिकारी,
(सोमेश सुंदरियाल)
रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 27 अक्टूबर, 2018

IEX INDIAN ENERGY EXCHANGE

INDIAN ENERGY EXCHANGE LIMITED

Regd. & Corp. Off.: Fourth Floor, TDI Centre, Plot No.7,
Jasola District Centre, New Delhi - 110025
CIN: L74999DL2007PLC277039
Ph. No.: +91 -11-4300 4000; **Fax No.:** +91 -11-4300 4015
Email: compliance@iexindia.com; **Website:** www.iexindia.com

NOTICE

Pursuant to the Regulation 29 and Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Friday, November 09, 2018 inter-alia, to consider and approve the unaudited Financial Results of the Company for the quarter and half year ended September 30, 2018.

Further the Trading Window for dealing in the shares of the Company shall remain closed for the period from Saturday, October 27, 2018 to Sunday, November 11, 2018 (both days inclusive).

This information is also available on the website of the Company i.e. **www.iexindia.com** and the website of the BSE Limited and National Stock Exchange of India Ltd **(i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com)**, the Stock Exchanges where the Company's shares are listed.

For **Indian Energy Exchange Limited**
Sd/-
Vineet Harlalka
Company Secretary and Compliance Officer

Place: New Delhi
Date: October 26, 2018

---

10 सालों का
विश्वास
पढ़ते रहिये यह
खबरें ख़ास
पहला पन्ना क्षेत्रीय और राष्ट्रीय समाचार के नाम
शेयर और जिंस भाव के 5.5 पन्ने
कंपनी और जिंस समाचार
विविध समाचार
आयाम
व्यापार गोष्ठी
अन्य साप्ताहिक पृष्ठ
बिज़नेस स्टैंडर्ड 10वीं वर्षगांठ
अपनी प्रति के लिए
Call 022 24978470 | SMS reachbs to 56677 | e-mail us at: order@bsmail.in
बिज़नेस स्टैंडर्ड
बेहतर बिज़नेस वो, जो आपकी भाषा में हो
businessstandardhindi
bshindi
www.hindi.business-standard.com

STL

SHYAM TELECOM LIMITED

CIN: L32202RJ1992PLC017750
Regd. Office: Shyam Tower, 3, Amrapali Circle Vaishali Nagar, Jaipur-302021, Rajasthan, India Ph.: 91-141-5100343, Fax: 91-141-5100310
Website: www.shyamtelecom.com, Email: investors@shyamtelecom.com

Notice

Pursuant to Regulation 47 read with Regulations 29 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015, Notice be and is hereby given that the Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Monday, 05th day of November, 2018, 04.00 PM at A- 60, Naraina Industrial Area, Phase -I, New Delhi-110028, the Corporate Office of the Company inter alia, to consider, approve and take on record the Unaudited Financial Results for the Quarter and Half-Year ended 30th September, 2018.

This information is also available on the Website of the Company at www.shyamtelecom.com and on the websites of the Stock Exchanges where Shares of the Company are listed at BSE Limited (www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Ltd. (www.nseindia.com)

By the order of the Board
For **SHYAM TELECOM LIMITED**
Sd/-
SAURAV GOEL
COMPANY SECRETARY

Place: New Delhi
Date: 26th October, 2018

ओ.बी.सी

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

(भारत सरकार का उपक्रम)
क्लसटर – आर आर एल नोएडा, एसएच–12, प्रथम तल, गामा शॉपिन्ग सैन्टर, सैक्टर–गामा– I,
ग्रेटर नोएडा –201308, जिला गौतम बुद्ध नगर, यू.पी., फोन : 0120-2322667, ई–मेलः rrl_7656@obc.co.in

नियम – 8 (1) अधिग्रहण सूचना (अचल सम्पत्ति हेतू)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एंव प्रतिभूति हित प्रवर्तन ऐक्ट 2002 के तहत ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कर्जदारों / गारंटरों को निम्नलिखित दिनांकों को डिमांड नोटिस जारी किया था, जिसमें उक्त सूचना की तिथि से 60 दिनों के अन्दर भुगतान करने को कहा गया था।

उधारकर्ताओं / गारंटरों उक्त राशि का भुगतान करने में असफल हो गये हैं इसलिये एतद्द्वारा उधारकर्ता तथा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अद्योहस्ताक्षरी ने इसमें नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4), उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियो के इस्तेमाल के अन्तर्गत **निम्नलिखित दिनांकों को कब्जा** ले लिया है।

उधारकर्ताओं को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को सामान्य रूप से चेतावनी दी जाती है कि वे निम्न सम्पत्तियों के साथ लेन–देन न करें तथा सम्पत्ति के साथ कोई भी लेन–देन **ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स,** के प्रभार वास्ते बकाया राशि के अधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल सम्पत्तियों का विवरण

क्र. सं.	कर्जदार / गारंटरों के नाम	सम्पत्तियों का विवरण	मांग सूचना की तारीख कब्जा सूचना की तारीख	बकाया राशि (रू. में)
1	मैसर्स यूनिक कंस्ट्रक्शन कंपनी (प्रोपराईटरः श्री बी.पी. तिवारी)	सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि मकान नं. जी–565, अल्फा– I I, ग्रेटर नोएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर, यू.पी में स्थित, क्षेत्रफल 60 वर्ग मी., चौहद्दी : उत्तर पूरब में – 12 मी. चौडी रोड, दक्षिण पूरब में – प्लॉट नं. 564, दक्षिण पश्चिम में – प्लॉट नं. 510, उत्तर पश्चिम में – प्लॉट नं. 566	18-08-2018 24-10-2018	₹ 28,48,259.51 दिनांक 01-12-2017 से होने वाला ब्याज

दिनांक 24.10.2018, स्थान : नोएडा, ग्रेटर नोएडा **प्राधिकृत अधिकारी, ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स**

कब्जे की सूचना

जैसे की, अधोहस्ताक्षरित, असेट रिकन्सट्रक्शन कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सीक्युरिटायजेशन एंड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फायनान्शियल एसेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सीक्युरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के अनुसार और धारा 13(12) सपठित सीक्युरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स 2002 के नियम 3 के तहत प्राप्त अधिकारों केतहत कर्जदारों को उनके नामों के समुख निर्देशित राशि का प्रदान संबंधित सूचना में निर्देशित लागू दरों पर ब्याज के साथ संबंधित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर प्रदान और/या वसुली की तिथि तक प्रासंगिक व्यय, मूल्य, प्रभार आदि के साथ करने हेतु निर्देश देने वाली मांग सूचना जारी की गई थी।

क्र. सं.	खाता सं.	ऋणी/सह-ऋणी/ जमानतदार	कुल बकाया राशि रूपये में मांग सूचना की दिनांक	कब्जे की दिनांक व प्रकार	बन्धक सम्पत्ति का विवरण
1.	**4010HL03949086, 4010HL03948856 & 4010HL07325074**	मुनीश कुमार गुलयानी/मीनाक्षी गुलयानी/देविष गुलयानी	रू.**40640913.31/-** (अर्थात् रू. 2,36,31,109.65 /- ऋण खाता संख्या 4010HL03949086 के अन्तर्गत,रू.**1,18,40,711.38/-** ऋण खाता संख्या 4010HL03948856 के अन्तर्गत & रू. **51,69,092.28/-** ऋण खाता संख्या 4010HL07325074 के अन्तर्गत) **12.07.2018**	सांकेतिक **23.10.2018**	**गैर कृषि सम्पत्ति के सभी अंश एवं हिस्से जो इस प्रकार वर्णित है मकान नं. 276 सेक्टर 21 ए, क्षेत्रफल 500 वर्गगज, अरबन एस्टेट,हुडा, फरीदाबाद, हरियाणा**
2.	**HHOMDEL 00028797**	हेमन्त वर्मा/ ऐस टेल लिंकर्स प्राइवेट लिमिटेड (जरिये इसके निदेशक) निर्मल वर्मा/मल्लिका घई	रू. **6,73,91,275.95/-** **25.07.2018**	सांकेतिक **25.10.2018**	**स्टिल्ट पार्किंग भूतल, द्वितीय तल तथा सम्पत्ति संख्या एल-8 के छत के अधिकार जो कालका जी रिहायशी योजना, नईदिल्ली-19 में स्थित है।**

तथापि, कर्जदार द्वारा संबंधित राशि का प्रदान करने में असफल होने के कारण यह सूचना विशेष रूप से उपरी निर्देशित कर्जदारों को तथा आम जनता को दी जाती है कि अॅसेट रिकन्सट्रक्शन कम्पनी (इंडिया) लि. के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा इस कानून के धारा 13(4) सपठित इस नियम के नियम 8 के तहत उन्हे प्राप्त अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए उपरी निर्देशित जायदाद/प्रतिभूत संपत्ति का प्राधिकृत अधिकार ने उपरी निर्देशित तिथि को सांकेतिक कब्जा प्राप्त कर लिया है, विशेष रूप से उपरी निर्देशित कर्जदारों को और आम जनता को आगाह किया जाता है कि वे इस निर्देशित जायदाद/ प्रतिभूत संपत्ति के संदर्भ में व्यवहार न करें और निर्देशित जायदाद/प्रतिभूत संपत्ति के संबंध में किया गया कोई भी व्यवहार असेट रिकन्सट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लि. (आर्सिल) के प्रभारों के अधीन होगा, कानून के धारा 13 के उपधारा (8) के प्रावधानों के तहत कर्जदारों को सूचित किया जाता है कि वे उपलब्ध समय में प्रतिभूत संपत्ति विमुक्त करें।

हस्ताक्षरः
प्राधिकृत अधिकारी,
असेट रिकन्सट्रक्शन कंपनी (इण्डिया) लिमिटेड

दिनांकः 27.10.2018
स्थानः दिल्ली

Arcil Premier ARC
असेट रीकन्सट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड् CIN NO:- U65999MH2002PLC134884,www.arcil.co.in,
पंजिकृत कार्यालयः द रूबी, 10 वीं मंजिल, 29 सेनापति बापट मार्ग, दादर (प.),मुंबई-400028, फोनः +91 2266581300
शाखा पताः द्वितीय तल, सेठी चैम्बर्स, प्लॉट-2, डीडीए शापिंग काम्पलैक्स, मोर लेंड, न्यू राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली - 110058

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

मिड कार्पोरेट शाखा, कौशाम्बी,
गाजियाबाद, फोन नं0: 0120–2771158

सांकेतिक कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए नियम 8(1))

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित का प्रभावीकरण अधिनियम 2002 (2002 का 54) के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने सम्बन्धित ऋणी / ऋणियों के नाम के सामने दर्शाये गए खातें में उनके नामों के सामने दी गई तारीख से 60 दिनों के भीतर बकाया राशि अदा करने के लिए मांग नोटिस जारी किया था। ऋणी / ऋणियों / बंधककर्ता द्वारा राशि अदा करने में असफल होने पर ऋणी / ऋणियों और जनसामान्य को नोटिस दिया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पढ़ते हुए उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के तहत प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे दी गयी सम्पत्ति का **सांकेतिक कब्जा** उनके खाते के सामने दी गई तारीख पर ले लिया है। ऋणी / ऋणियों को विशेष रूप से एवं जनसामान्य को सामान्य रूप से चेतावनी दी जाती है कि वे उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध मे किसी प्रकार का लेन–देन न करें। इन सम्पत्ति से किसी प्रकार का लेन–देन **यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मिड कार्पोरेट शाखा, कौशाम्बी, गाजियाबाद** को देय राशि एवं उस पर अर्जित ब्याज के चार्ज के पूर्ण भुगतान के पश्चात ही किया जा सकता है। उधारकर्ता का ध्यान प्रतिभूति आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

क्रं. सं.	ऋणी / गारन्टर के नाम	बंधक सम्पत्ति का विवरण	मांग नोटिस की तिथि	कब्जे की तिथि	बकाया राशि
1.	**ऋणीः** मैसर्स एस.एम. इंटरप्राइजेज प्रोपराइटर श्री भारत कालरा पुत्र श्री हरमेश कुमार। **गारन्टरः** श्रीमती किरन कुमारी पत्नी श्री हरमेश कुमार	बंधक सम्पत्ति के सभी भाग व खंड आवासीय संपत्ति नं0 बी-175, स्थित झिलमिल रेजिडेंशियल एरिया, विवेक विहार, फेज-1, दिल्ली, माप क्षेत्रफल 250.83 वर्ग मीटर, सम्पत्ति स्वामिनी श्रीमती किरन कुमारी। सीमायें:-पूर्वः मकान नं0बी-174, पश्चिमः मकान नं0 बी-176, उत्तरः सर्विस लेन, दक्षिणः रोड 30'0'' चौड़ा	03.07.2018	**25.10.2018**	रू0 **19,87,98,269.93** दिनांक 29.06.2018 को + ब्याज एवं अन्य खर्चे दिनांक 30.06.2018 से
2.	**ऋणीः** मैसर्स क्वेट्ज़ेल मीडिया प्रा. लिमिटेड, डायरेक्टरः कु. ऐश्वर्या शर्मा पुत्री श्री राकेश शर्मा, श्रीमती शारदा गुप्ता पत्नी श्री दीपक गुप्ता **गारन्टर/बंधककर्ताः** मैसर्स अबानी ट्रेडक्जिम प्राइवेट लिमिटेड	(1) बंधक सम्पत्ति के सभी भाग व खंड आवासीय डीडीए द्वितीय तल पर फ्लैट, एलआईजी फ्लैट नं0 684, एलआईजी केटेगरी, सेक्टर-डी, स्थित हाऊसिंग एस्टेट लेआउट प्लान, स्थित वंसत कुंज रेजिडेंशियल स्कीम वर्तमान नाम वंसत कुंज, नई दिल्ली-110070, माप क्षेत्रफल 40.00 वर्ग मीटर, सम्पत्ति स्वामी मैसर्स अबानी ट्रेडक्जिम प्राइवेट लिमिटेड। सीमायें:-पूर्वः फ्लैट नं0 685, पश्चिमः मेन एंट्रेस, उत्तरः खुला/कोरिडोर, दक्षिणः खुला (2) बंधक सम्पत्ति के सभी भाग व खंड आवासीय डीडीए द्वितीय तल पर फ्लैट, एलआईजी फ्लैट नं0 771, एलआईजी केटेगरी, सेक्टर-डी, स्थित हाऊसिंग एस्टेट लेआउट प्लान, स्थित वंसत कुंज रेजिडेंशियल स्कीम वर्तमान नाम वंसत कुंज, नई दिल्ली-110070, माप क्षेत्रफल 40.00 वर्ग मीटर, सम्पत्ति स्वामी मैसर्स अबानी ट्रेडक्जिम प्राइवेट लिमिटेड। सीमायें:-पूर्वः मेन एंट्रेस, पश्चिमः खुला, उत्तरः फ्लैट नं0 770, दक्षिणः फ्लैट नं0 772	20.06.2018	**25.10.2018**	रू0 **2,71,23,799.86** दिनांक 05.06.2018 को + ब्याज एवं अन्य खर्चे दिनांक 06.06.2018 से

दिनांकः 26.10.2018 स्थान–गाजियाबाद प्राधिकृत अधिकारी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

Integra Telecommunication & Software Limited

Regd. Office.: 108/9, Prem Apartment,
Kishan Garh, Vasant Kunj, New Delhi-110070
Tel: +91-11- 40574542
Website: www.integratelesoftware.com
E-mail: info@integratelesoftware.com
CIN: L74899DL1985PLC020286

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015 ,Notice is hereby given that Meeting of Board of Directors of the company will be held at 11.30 a.m. on Saturday, 3rd November 2018, at its registered office to inter-alia consider among other items, Un-audited Financial results for the Quarter ended on 30th September , 2018.

For Integra Telecommunication & Software Ltd.
Sd/-
Chimman Lal Agrawal
(Company Secretary)

New Delhi
26.10.2018

अपोलो पाइप्स लिमिटेड

(पूर्ववर्ती "अमूल्या लीजिंग एण्ड फाइनैंस लिमिटेड")
CIN - L65999DL1985PLC022723
पंजीकृत कार्यालय : 37, हरगोविंद एनक्लेव, विकास मार्ग, दिल्ली-110092
कॉरपोरेट कार्यालयः प्लॉट नं. 10, कमर्शियल एरिया, कौशम्बी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201010
ई-मेल आईडीः compliance@apollopipes.com
वेबसाइटः www.apollopipes.com
दूरभाषः 011-43334000/0120-4795750

सूचना

सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के विनियमन 29 के अनुपालन के तहत, हमलोग एतद्द्वारा आपको सूचित करते हैं कि 30 सितम्बर, 2018 को समाप्त द्वितीय तिमाही एवं छमाही के अनांकेक्षित वित्तीय परिणामों सहित अन्य विषयों पर विचार एवं उस पर अनुमोदन करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक कंपनी के कॉरपोरेट कार्यालयः प्लॉट नं. 10, कमर्शियल एरिया, कौशम्बी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201010 में शनिवार, 3 नवम्बर, 2018 को पूर्वाह्न 11.00 बजे आयोजित होगी।

इसके अलावा, सेबी (घनिष्ठ व्यक्तियों की ट्रेडिंग पर निषेध) विनियमन 2015 के अनुसार कंपनी के घनिष्ठ व्यक्तियों के नियंत्रण, निगरानी एवं सौदा की रिपोर्ट हेतु आचार संहिता के अनुसार ट्रेडिंग विंडो 27 अक्टूबर, 2018 से 5 नवम्बर, 2018 (दोनों दिन सहित) बंद रहेगी।

निदेशक मंडल की ओर से
हस्ता/-
आनंद कुमार पाण्डे
(कंपनी सचिव)

तारीख : 25.10.2018
स्थान : गाजियाबाद

नोटिस न्यायालय सूचना पट्ट (बैंक द्वारा) : 20.10.2018, नोटिस मौके पर (बैंक द्वारा) : 26.10.2018, अमानत राशि जमा कराने की अंतिम तिथि व समय : 20.11.2018 साय 3.00 बजे तक, निरीक्षण की तिथी : 16.11.2018, ई–ऑक्शन : 27.11.2018, रिपोर्ट : 30.11.2018

फार्म संख्या 13

(आयकर अधिनियम 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 38, 52(2) के अन्तर्गत)

आर0सी0 संख्याः 45 / 2008 आगामी तिथी 30.11.2018

कोटक महिंद्रा बैंक **बनाम** **रिवोना इंडस्ट्रीज तथा अन्य**

विक्रय की उद्घोषणा

कार्यालय वसूली अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण, कमरा संख्या 4, नेहरू प्लेस, टोंक रोड़, जयपुर (राजस्थान), (क्षेत्राधिकार राजस्थान राज्य)

यह कि माननीय पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण, जयपुर के द्वारा एक वसूली प्रमाण पत्र संख्या 45 / 2008 जो कि मूल आवेदन संख्या 195 / 2002 में दिनांक **15.09.2008** को सभी प्रतिवादीगण के विरूद्ध **4,82,86,341.79 / –** रूपये की वसूली हेतु जारी किया गया है, जो राशि प्रमाण पत्र के अनुसार ब्याज, वाद व्यय एवं खर्चो सहित वसूल किये जाने योग्य है। तथा यहकि अधोहस्ताक्षरकर्ता के द्वारा सलंग्न अनुसूचि में वर्णित कुर्कशुदा सम्पत्ति को प्रमाण पत्र की सन्तुष्टि हेतु विक्रय किये जाने हेतु आदेशित किया गया है। तथा यहकि प्रमाण पत्र के अनुसार दिनांक 27.5.2009 तक ब्याज, वाद व्यय व खर्चो संहित कुल राशि **4,67,97,885.01** रूपये एवं भविष्य का ब्याज बकाया होते है। एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि किसी स्थगन आदेश की अनुपस्थिति में सन्दर्भित सम्पत्ति का विक्रय Atishya Technologies Pvt. Ltd., 309, ATMA House, Opp. Old RBI, Ashram Road, Ahmedabad-380009, Gujarat के द्वारा ऑनलाईन नीलामी के जरिये https://eauction.npasource.com के माध्यम से दिनांक 27.11.2018 को प्रात 11 बजे से साय 4 बजे तक किया जायेगा। यह विक्रय उपरोक्त प्रतिवादी की सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे अनुसूचि में दिया गया है, का किया जावेगा एवं उक्त सम्पत्ति पर दायित्व एवं दावे जो अभिनिश्चित किये गये हैं, वे प्रत्येक लॉट के सामने अनुसूचित में विनिर्दिष्ट है। सम्पत्ति का विक्रय **"जहॉ है जैसी स्थिती में हैं"** के आधार पर किया जावेगा। सम्पत्ति का विक्रय अनुसूची में दिये गये लॉट के अनुसार किया जावेगा। यदि सम्पत्ति के किसी एक भाग के विक्रय से वसूली राशि सन्तुष्ट हो जाती है तो शेष सम्पत्ति के विषय में विक्रय तुरन्त रोक दिया जायेगा। यदि किसी भी लॉट का विक्रय प्रारम्भ करने से पूर्व उक्त प्रमाण पत्र में वर्णित बकाया ब्याज, लागत (विक्रय की लागत सहित) विक्रत निष्पादित करने वाले अधिकारी को अदा कर दी जाती है या उसकी सन्तुष्टि के लिए यह प्रमाण प्रस्तुत किया जाता है कि प्रमाण पत्र की राशि ब्याज स खर्चे सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को अदा कर दी गई है तो विक्रय रोक दिया जावेगा। विक्रय हेतु जनसाधारण को स्वंय अथवा अधिकृत प्रतिनिधी के जरिये बोली लगाने हेतु आमंत्रित किया जाता है। किसी भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो इस विक्रय के सम्बन्ध में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से अपना कर्तव्य निर्वहन कर रहा है, के द्वारा किसी भी रूप में इस सम्पत्ति के विक्रय में बोली में अथवा सम्पत्ति के अर्जन अथवा अर्जन के प्रयास में भाग नही लिया जावेगा। विक्रय आयकर अधिनियम 1961 की द्वितीय अनुसूचि में वर्णित शर्तो तथा इसके अन्तर्गत निर्मित नियमों एवं निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तो के अध्ययीन होगाः– **(1)** संलग्न सूची में दिये गये विवरण अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्राप्त श्रेष्ठ जानकारी के अनुसार अंकित है किन्तु अधोहस्ताक्षरकर्ता उद्घोषणा में किसी त्रुटि, असत्य अथवा चूक के लिये कतई उत्तरदायी नहीं होगा। **(2)** सम्पत्ति संख्या 1 का आरक्षित मूल्य 28.00 लाख रूपये होगा, सम्पत्ति संख्या 2 का आरक्षित मूल्य 28.00 लाख रूपये होगा, सम्पत्ति संख्या 3 का आरक्षित मूल्य 32.00 लाख रूपये होगा, सम्पत्ति संख्या 4 का आरक्षित मूल्य 28.00 लाख रूपये होगा, सम्पत्ति संख्या 5 का आरक्षित मूल्य 28.00 लाख रूपये होगा, सम्पत्ति संख्या 6 का आरक्षित मूल्य 28.00 लाख रूपये होगा, जिससे कम मूल्य में सम्पत्ति विक्रय नहीं की जावेगी। **(3)** वह राशि जिसके द्वारा बोली को बढ़ाया जा सकेगा, 10,000 / – रूपये व इस राशि के गुणक में होगी, तथा बोली की राशि अथवा बोलीदाता के विषय में विवाद उत्पन्न होने पर वह लॉट तुरन्त ही पुनः नीलामी के लिए रख दिया जायेगा। **(4)** इच्छुक बोलीदाताओ को ऊपर वर्णित वैब साईट पर पंजीकृत कराना तथा पहचान चिन्ह व पासवर्ड प्राप्त करना आवश्यक होगा जो कि सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। जो बोली लगाये जाने के लिए अनिवार्य है। बोलीदाता 20.11.2018 तक पंजीकरण करा सकेगा। **(5)** बोलीदाता को आरक्षित मूल्य की 10 प्रतिशत राशि धरोहर जमा करानी होगी जो कि Kotak Mahindra Bank Ltd., Ground Floor, Krishna Tower, 57- Sardar Patel Marg, Jaipur 302001 में संधारित खाता संख्या 5511391494 (IFSC Code KKBK0000271) में जमा करावाया जा सकेगा। जिसका प्रमाण, पेनकार्ड की सत्यापित प्रतिलिपी, पते का प्रमाण तथा प्राधिकार पत्र यदि वे किसी अन्य व्यक्ति अथवा संस्था की ओर से बोली में भाग ले रहे है, प्रस्तुत करने होंगे, जोकि डी.आर.टी. की ई–मेल आई.डी. संख्या drtjaipur-dfs@nic.in पर भी भेज सकते है। **(6)** किसी भी लॉट के लिए सर्वोच्च बोलीदाता को क्रेता घोषित कर दिया जावेगा बशर्ते कि वह बोली लगाने के लिए कानूनन योग्य है एवं उसके द्वारा लगायी गयी बोली आरक्षित मूल्य से कम नहीं है। उच्चतम बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के विवेकाधीन होगा यदि प्रस्तावित मूल्य स्पष्टतः इतना अपर्याप्त हो जिसे प्राप्त करना अनुचित हो। (7) लिखित कारणों से अधोहस्ताक्षरकर्ता को आयकर अधिनियम की द्वितीय अनुसूचि के प्रावधानों के अधीन विक्रय को स्थगित करने का अधिकार प्राप्त होगा। **(8)** अचल सम्पत्ति के मामले में सम्पत्ति का क्रेता घोषित किये जाने वाले व्यक्ति के द्वारा घोषित के तुरन्त पश्चात् क्रय मूल्य की 25 प्रतिशत राशि धरोहर राशि को समायोजित करते हुए जमा करवायी जावेगी जो बैंक के उक्त खाता संख्या 5511391494 में जमा करवायी जायेगी जिसमें व्यक्तिक्रम होने पर सम्पत्ति को तुरन्त ही पुनः विक्रय हेतु लगाया जावेगा। विक्रय की सम्पूर्ण राशि क्रेता द्वारा वसूली अधिकारी ऋण वसूली अधिकरण के पक्ष में जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा खाता संख्या 5511391494 में नीलामी की तिथि से 15वें दिवस तक जमा करनी होगी जिसमें वह दिन शामिल नहीं होगा। यदि 15वां दिन रविबार या अन्य अवकाश हो तो उसके पश्चात् प्रथम कार्यलय दिवस को ऐसा किया जा सकेगा। उक्त अवधि के भीतर भुगतान में व्यक्तिक्रम किये जाने पर सम्पत्ति विक्रय नवीन उद्घोषणा जारी करके कर दिया जावेगा। **(9)** ऐसी स्थिति में जमाशुदा राशि को यदि अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा उचित समझा जावें तो विक्रय के खर्चे समायोजित करने के पश्चात् जब्त सरकार कर ली जावेगी एवं उस स्थिति में क्रेता के उक्त सम्पत्ति या राशि के किसी भी भाग के विषय में अधिकार जब्त हो जायेगें। सफल बोलीदाता को प्रथम 1000 / – रूपये पर 2 प्रतिशत एवं उसके पश्चात् शेष राशि पर 1 प्रतिषत की दर से पोउण्डेय फीस का भुगतान करना होगा। **(10)** प्रमाणपत्रधारी बैंक के द्वारा इच्छुक बोलीदाता का दिनांक 16.11.2018 को प्राप्त 10.00 से सांय 4.00 बजे तक सम्पत्ति के निरीक्षण की अनुमति दी जावेगी जिसके लिए इच्छुक बोलीदाता Shri Vikas Bharadwaj, Vice President, Kotak Mahindra Bank Ltd., से मोबाईल संख्या **9873570366** पर सम्पर्क कर सकते है। **(11)** यदि इच्छुक बोलीदाता इन्टरनेट के जरिये बोली नहीं लगा सकते हों तो वे नोडल अधिकारी एवं आनलाईन नीलामी सेवाप्रदाता के माध्यम से भी नीलामी में भाग ले सकते है। **(12)** प्रस्तावित बोलीदाता आनलाईन नीलामी के प्रशिक्षण का लाभ आनलाईन नीलामी सेवाप्रदाता Atishya Technologies Pvt. Ltd., 309, ATMA House, Opp. Old RBI, Ashram Road, Ahmedabad-380009, Gujarat एवं Kotak Mahindra Bank Ltd., Ground Floor, Krishna Tower, 57- Sardar Patel Marg, Jaipur 302001 उठा सकते है जो वैब साईट https://eauction.npasource.com पर उपलब्ध है। **(13)** बोलीदाता अपना रजिस्ट्रेशन एवं अमानत राशि जमा कराने की अन्तिम तिथी 20.11.2018 को सांय 3 बजे तक है। **(14)** आनलाईन नीलामी सेवाप्रदाता Atishya Technologies Pvt. Ltd., 309, ATMA House, Opp. Old RBI, Ashram Road, Ahmedabad-380009, Gujarat के द्वारा दिनांक 27.11.2018 को प्रात 11 बजे से साय 3 बजे तक सम्पादित की जावेगी। यदि नीलामी की राशि सांय 3 बजे के उपरान्त 10 मिनट के पश्चात् भी नहीं बढ़ायी जाती है तो नीलामी अधिकतम बोलीदाता की बोली स्वीकार कर ली जाएगी। यदि समय 3:10 से पूर्व कोई बोली बढाई जाती है तो पुनः नीलामी समय 10 मिनट बढ़ा दिया जायेगा। बोली अधिकतम सांयकाल 4.00 बजे तक ही बढाई जा सकेगी। **(15)** धरोहर राशि का भुगतान असफल बोलीदाताओं को उसी दिन अधोहस्ताक्षरकर्ता के आदेश द्वारा किया जायेगा।

सम्पत्ति का विवरणः

प्लॉट की सख्या	अन्य सहमालिक का नाम सहित बेची जाने वाली सम्पत्ति का विवरण जहॉ सम्बन्धित व्यक्तिक्रमी जो किसी अन्य व्यक्ति से सह–मालिक है	सम्पत्ति या उसके किसी भाग पर राजस्व जिसका मूल्याकंन किया गया है।	किसी भी प्रकार के भार का विवरण जिसके लिए सम्पत्ति उत्तरदायी है	विवाद अगर कोई है जो कि समपत्ति के संबंध में आगे आया हे एवं अन्य कोई ज्ञात विषिष्टियों जो कि इसके मूल्य एवं प्रकृति प्रभाव रखता है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Plot no 75, situated at Vardhman Nagar, Sobhavaton Ki Dhani, Pal Road, Tehsil & District -Jodhpur (Rajasthan) belonging to **Shri Rajendra Prasad Gupta**	1	जानकारी नहीं	संपत्ति पर घर स्थित है जो श्री सत्यनारायण के कब्जे में है
2.	Plot no 76, situated at Vardhman Nagar, Sobhavaton Ki Dhani, Pal Road, Tehsil & District -Jodhpur (Rajasthan) belonging to **Shri Rajendra Prasad Gupta**	1	जानकारी नहीं	संपत्ति पर घर स्थित है जो श्री पुखराज के कब्जे में है
3.	Plot no 85, situated at Vardhman Nagar, Sobhavaton Ki Dhani, Pal Road, Tehsil & District -Jodhpur (Rajasthan) belonging to **Shri Yogendra Agarwal**	1	जानकारी नहीं	जानकारी नहीं
4.	Plot no 86, situated at Vardhman Nagar, Sobhavaton Ki Dhani, Pal Road, Tehsil & District -Jodhpur (Rajasthan) belonging to **Shri Yogendra Agarwal**	1	जानकारी नहीं	जानकारी नहीं
5.	Plot no 87, situated at Vardhman Nagar, Sobhavaton Ki Dhani, Pal Road, Tehsil & District -Jodhpur (Rajasthan) belonging to **Smt. Manju Agarwal**	1	जानकारी नहीं	जानकारी नहीं
6.	Plot no 88, situated at Vardhman Nagar, Sobhavaton Ki Dhani, Pal Road, Tehsil & District -Jodhpur (Rajasthan) belonging to **Smt. Manju Agarwal**	1	जानकारी नहीं	जानकारी नहीं

मेरे हस्ताक्षर एवं सील द्वारा दिनांक 20.10.2018 **वसूली अधिकारी -I, ऋण वसूली अधिकरण, जयपुर**

कैपीटल फर्स्ट होम फाइनेंस लिमिटेड

CAPITAL FIRST

वन इंडियाबुल्स सेन्टर, टॉवर 2ए एंड 2बी, 10वां तल, सेनापति बापत मार्ग,
लोअर परेल (पश्चिम), मुंबई–400013 सीआईएनः U65192MH2010PLC211307

(वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत सूचना)

निम्नलिखित कर्जदारों और सह–कर्जदारों ने कैपीटल फर्स्ट होम फाइनेंस लिमिटेड से अधोल्लिखित प्रत्याभूत ऋण प्राप्त किए हैं। अधोल्लिखित कर्जदारों और सह–कर्जदारों के ऋण उनकी संबंधित संपत्तियों के बंधन द्वारा प्रत्याभूत की गई हैं। जैसा कि संबंधित ऋण करारों के नियम व शर्तों को पूरा करने में वे असफल रहें हैं और अनियमित हो गए हैं, उनके ऋण आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीए वर्गीकृत किए गए थे। उनके द्वारा कैपीटल फर्स्ट होम फाइनेंस लिमिटेड को देय खाते निम्नलिखित तालिका में विस्तृत रूप से वर्णित संबंधित सूचनाओं के अनुसार उल्लिखित किए गए हैं और उक्त राशियों पर आगे की ब्याज भी लागू होगी और वह संबंधित तिथियों से अनुबंधित दर के अनुसार प्रभारित होगी।

क्र. सं.	ऋण खाता नं.	ऋण का प्रकार	कर्जदारों के नाम	बकाया 13(2) सूचना के अनुसार	सूचना की तारीख	प्रत्याभूत परिसंपत्ति का विवरण
1.	5467470	होम फाइनेंस एलएपी	1. विनोद कुमार शर्मा 2. कुसुम लता शर्मा	रु. 8,09,945.55 / –	13.04.2018	तीसरा तल छत अधिकारों सहित संपत्ति नं. एफ–29, केएच नं. 2 / 34 / 2, गांव खुरेजी खास, राधे पुरी, एफ ब्लॉक, इलाका शाहदरा, दिल्ली, दिल्ली–110051 परिबद्धः– उत्तर में: उक्त संपत्ति एफ–29 का भाग, दक्षिण में: अन्य संपत्ति पी नं. एफ–28, पूर्व में: अन्य संपत्ति, पश्चिम में: सड़क

एतद्द्वारा आपसे कैपीटल फर्स्ट होम फाइनेंस लिमिटेड को देय राशियों को उपरोक्त तालिका में दर्शाए विवरण के अनुसार संबंधित तिथियों से अनुबंधित दर से ब्याज और अन्य लागतों, प्रभारों आदि सहित इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंदर भुगतान करने के लिए कहा जाता है, अन्यथा अधोहस्ताक्षरी सरफासी अधिनियम की धारा 13(4) और धारा 14 के तहत कैपीटल फर्स्ट होम फाइनेंस लिमिटेड को देय राशि की वसूली के लिए यहाँ उल्लिखित बंधक संपत्तियों के विरुद्ध कार्यवाही शुरू करने के लिए बाध्य होगा। साथ ही आप उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के तहत उक्त प्रत्याभूत परिसंपत्ति को बिक्री / पट्टे या अन्य किसी भी तरीके से हस्तांतरित करने के लिए निषिद्ध होगे।

हस्ता. / –
प्राधिकृत अधिकारी,
कैपीटल फर्स्ट होम फाइनेंस लिमिटेड

दिनांकः 27.10.2018
स्थान : दिल्ली

NUCLEUS SOFTWARE

Nucleus Software Exports Limited

CIN : L74899DL1989PLC034594
Registered Office: 33-35, Thyagraj Market, New Delhi - 110003
Tel : +91 - 120 - 4031400; Fax : +91 - 120 - 4031672;
Email : investorrelations@nucleussoftware.com, Website: www.**nucleussoftware**.com

EXTRACT OF FINANCIAL RESULTS OF NUCLEUS SOFTWARE EXPORTS LIMITED FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2018

(Amount in Rupees Lakhs)

SL. No.	Particulars	CONSOLIDATED			STANDALONE		
		Quarter Ended		For the half year ended	Quarter Ended		For the half year ended
		September 30, 2018	September 30, 2017	September 30, 2018	September 30, 2018	September 30, 2017	September 30, 2018
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)
1	Total income from operations (net)	12,149	10,045	23,410	9,966	8,194	19,171
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and Extraordinary items)	2,467	2,015	4,816	2,015	1,728	5,466
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and Extraordinary items)	2,467	2,015	4,816	2,015	1,728	5,466
4	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and Extraordinary items)	1,914	1,566	3,673	1,576	1,338	4,356
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	1,606	1,505	3,397	1,153	1,251	3,943
6	Equity Share Capital	2,904	2,904	2,904	2,904	2,904	2,904
7	Reserves (excluding revaluation reserves as shown in the Audited balance sheet of previous year)	-	-	-	-	-	-
8	Earnings Per Share - (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)						
	Basic (INR)	6.59	4.93	12.65	5.43	4.21	15.00
	Diluted (INR)	6.59	4.93	12.65	5.43	4.21	15.00

Note:

The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and other Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange websites of BSE and NSE at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on Company's website at www.nucleussoftware.com.

By Order of the Board
For **Nucleus Software Exports Limited**
Sd/–
Vishnu R Dusad
Managing Director

Place: Mumbai
Date : Ocotober 26, 2018